was discussed here—a very unhealthy and diseased mentality.

†भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी हमले

*४६१. श्री राम सहाय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर 1964 में पाकिस्तानियों ने भारतीय सरहद पर कितनी बार हमले किये और किसानों को उनकी फसल काटने से रोका; और

(ख) प्रत्येक हमले में कितने कितने हमलावर थे?

‡[PAKISTANI INCURSIONS ON INDIAN BORDERS

*461. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state?

(a) the number of times the Pakistanis raided the Indian borders and prevented the farmers from harvesting their crops in November, 1964 and

(b) the number of raiders involved in each of the raids?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.]

श्री राम सहाय : क्या श्रीमान को यह मालूम है कि इस प्रकार के झगड़े कि किसानों को अपनी फसल काटने से रोका जाता है कितने अरसे से चले आ रहे हैं?

श्री जयसुखलाल हाथी : जी हां पता है और जो सदस्य साहब ने सूचना मांगी है वह जब मिल जायगी तब टेबल पर रख देंगे।

श्री राम सहाय : क्या मैं यह जान सकूंगा कि ये झगड़े असल में ज्यादती के हैं कि वे किसानों को रोकते हैं या सरहद के संबंध में कुछ झगड़े हैं?

श्री जयसुखलाल हाथी : दोनों ही हैं। सरहद के भी झगड़े हैं किसानों को रोकने के लिये भी हैं। दोनों प्रकार के हैं।

श्री राम सहाय : क्या मैं जान सकूंगा कि इस बात की कोई जानकारी मिल सकी है कि इसमें किसानों का कितना नुकसान हुआ है?

श्री जयसुखलाल हाथी : अभी हमारे पास पूरी सूचना नहीं है।

श्री ओम् मेहता : कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों ने क्षम सेक्टर से दो लड़कियों को उठा लिया था तो क्या उनकी रिकवरी करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं?

श्री जयसुखलाल हाथी : जो प्रश्न किया गया है वह सारे इन्डियन बार्डर का है जिसमें राजस्थान पंजाब गुजरात आसाम का इलाका भी शामिल है। इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

SHRI G. M. MIR: In view of the fact that these raids have been going on on the border for the last four or five months without any provocation, I would like to know from the hon.

†Transferred from the 8th December, 1964.

‡[ ] English translation.

Minister whether they have taken any measures to defend the property and person of the people living on the border where these raids take place.

SHRI JAISUKHLAL HATHI: Yes, we have taken measures; we have tightened security measures.

श्री चन्द्र शेखर : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह की चीजो के बारे मे सूचना एकत्र करने का क्या तरीका है 1 क्या राज्य सरकारों को यह आदेश नही है कि जैसे ही इस तरह की घटना घटित हो उसकी सूचना तार, टेलीफोन या वायरलेस के द्वारा भेज दें ? यह सूचना नवम्बर महीने में मांगी गई थी और आज दिसम्बर की १८ तारीख हो गई लेकिन मिनिस्टर साहब इसके बारे में कोई सूचना नही रखते है कि बार्डर पर कितने रेड्स हुए है ?

श्री जयसुखलाल हाथी : खाली बार्डर पर रेड का ही सवाल नहीं है वहां पर और भी सवाल है। बार्डर पर फार्म के बारे में तरह-तरह के झगड़े होते है। एक किसान को रोक लिया या इसी तरह के जो झगड़े फार्म से संबंध रखते है उनकी सूचना हमे बाद मे मिलती रहती है। लेकिन आमतौर पर बार्डर में जो रेड्स या फायरिंग होती है राज्य सरकारे उसकी सूचना हमें जल्दी भेज देती है। लेकिन इस घटना मे हमारे एक आदमी का पाकिस्तानी नेशनल के साथ झगड़ा हो गया था।

RE-INSTATEMENT OF SHRI R. P. KAPOOR, I.C.S.

*672. SHRI ABDUL GHANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Government has sought the permission of the Central Government for the re-instatement of Shri R. P. Kapoor, I.C.S.;

(b) if so, whether the Central Government has given permission for the withdrawal of cases against Mr. Kapoor and his re-instatement; and

(c) when he is likely to be re-instated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

شری عبدالغنی : کیا وزیر صاحب فرمائیں گے کہ جب کسی منسٹر کے خلاف چارج شیٹ آتا ہے تو اس وقت سرکار یہ کہتی ہے کہ جب تک اس بارے میں ثبوت نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے چاہے کتنا ہی سیریس قسم کا جرم ہو - لیکن دوسری طرف جب کسی کو چارج شیٹ دیا جاتا ہے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور جب اس کا کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ایکسونیریٹ (exonerate) کر دیا جاتا ہے تو کیا میں اس کا یہ مطلب سمجھوں کہ ایک کے اوپر جرم ہے، کیس ہے، تو اس کو بغیر کسی وجہ سے رکھ لیا جاتا ہے اور دوسرے کو جس کے معاملے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، کیوں ریئنسٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے -